

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या – 516/2024

अनवान : –

1. सावित्री पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. ज्योति पत्नी मनोज कुमार जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
2. सुमित्रा देवी पत्नी बलवीर जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

श्री मांगीराम बैनीवाल प्रतिवादी स0 2

निर्णय

दिनांक: 17/02/26


संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 161/168 के ख0न0 139 की 5.2360 हैक्ट भूमि वादीया व प्रतिवादीया स0 1 ता 2 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 161/168 के ख0न0 139 की 5.2360 हैक्ट भूमि भूमि में से वादीया व प्रतिवादी स0 2 प्रत्येक के नाम 1/4 व प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा कास्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 161/168 के ख0न0 139 की 5.2360 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 2 ने वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया प्रतिवादी स0 2 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी ने निर्णय किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे। वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

  
अधिवक्ता उभिकारी

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता सा0 161/168 के ख0न0 139 की 5.2360 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 ज्योति पत्नी मनोज कुमार जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन 1/2 आरएमजीबी दलपतपुरा – ख0न0 139 की 2.6180 हैक्ट
- 2 सुमित्रा देवी पत्नी बलवीर 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी मन्दरपुरा, सावित्री पत्नी राजेन्द्र 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी मन्दरपुरा – ख0न0 139 की 2.6180 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक .....17/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या – 516/2024

अनवान : –

1. सावित्री पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम

1. ज्योति पत्नी मनोज कुमार जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
2. सुमित्रा देवी पत्नी बलवीर जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 477 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 161/168 के ख0न0 139 की 5.2360 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. ज्योति पत्नी मनोज कुमार जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन 1/2 आरएमजीबी दलपतपुरा – ख0न0 139 की 2.6180 हैक्ट
2. सुमित्रा देवी पत्नी बलवीर 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी मन्दरपुरा, सावित्री पत्नी राजेन्द्र 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी मन्दरपुरा – ख0न0 139 की 2.6180 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक .....17/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर